बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>संकल्प</u>

विषयः— **भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर—राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।**

माननीय कैट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ0ए0 संख्या—221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या—10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या—2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः—

1. उक्त संकल्प की कंडिका—1 के द्वितीय पारा में अंकित—

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 10,000—15,200/—रूपए के वेतनमान तथा उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत् पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"

<u>**के स्थान पर**</u>

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000—13,500/—रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड—3, रू0 15,600— 39,100+ग्रेड पे0—रू0 5,400/—) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा—4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"।

2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः— आदेश है कि सर्व—साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.4.12

(आनन्द बिहारी प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि—अधीक्षक, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो प्रति एवं तत्संबंधी सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (प्रशाखा—1) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2.4.12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— 4900 /पटना, दिनांक : 2.4.12

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.4.12

सरकार के संयुक्त सचिव